न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / 2022 / 118

विभागीय अपील द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार सेन, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटडी, हाल सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति माण्डलगढ, जिला भीलवाडा विरूद्ध निर्णय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश क्रमांक महात्मा गांधी नरेगा / संस्थापन / 2022 / 17782 दिनांक 02.02.2022 अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवां (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः— श्री राजेन्द्र कुमार सेन, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटडी, हाल सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति माण्डलगढ, जिला भीलवाडा

निर्णय

दिनांकः— 28.12.2022

यह अपील राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश दिनांक 02.02.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन क्रमांक म.गा.नरेगा / स्था0 / 2020 / 17568 दिनांक 22.06.2021 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी पर निम्न आरोप लगाये गयेः—

1. यह है कि पंचायत समिति कोटड़ी में 25 फरवरी 2021 से 4 मार्च 2021 के मध्य बिना सक्षम स्तर के अनुमोदन के पंचायत समिति कोटडी के 34 व्यक्तिगत लाभ के निर्माण कार्यो के अद्योहस्ताक्षरकर्ता की आई.डी से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हुई हैं। उक्त

प्रकरण मे गठित जांच कमेठी की जांच रिपोर्ट अनुसार कार्यक्रम अधिकारी के पद पर रहते हुए भी आपको आई.डी. मेपिंग नही कराने और अन्य की आई.डी से प्रस्ताव जिला स्तर पर प्रेषित किये जाने सम्बंधी लापरवाही हेतु आप उत्तरदायी हैं।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 06.07.2021 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोप को अस्वीकार किया गया। जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश क्रमांक मगानरेगा/तक. शाखा/2020–21/324 दिनांक 09.03.2021 द्वारा अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाडा के नेतृत्व मे जांच दल गठित किया गया। अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाडा एव जांच दल द्वारा पत्रांक 502 दिनांक 04.06. 2021 से प्रकरण मे जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमे श्री राजेन्द्र कुमार सेन पर आयात किये गये आरोप को प्रमाणित माना गया है। आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर भीलवाडा के उक्त दण्डादेश दिनांक 02.02.2022 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी श्री राजेन्द्र कुमार सेन, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटडी, हाल सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति माण्डलगढ, जिला भीलवाडा, को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर भीलवाडा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर भीलवाडा के दण्डादेश दिनांक 02.02.2022 की टिप्पणी एवं मूल अभिलेख मंगवाया गया जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाडा द्वारा भिजवाया गया, जिसके द्वारा उक्त प्रकरण मे अति0 जिला कलक्टर की अध्यक्षता मे कमेठी बनाई जाकर जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार सेन की पर्यवेक्षणीय लापरवाही मानी गई । जिसके द्वारा अपीलार्थी पर आरोपित आरोप को सिद्ध मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया। अपीलार्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि पंचायत समिति कोटडी के 34 व्यक्तिगत लाभ के निर्माण कार्यो स्वीकृत करवाने हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन पत्र तैयार नहीं करवाये गए हैं एवं नही मेरे द्वारा स्वीकृति हेतु जिला स्तर पर अग्रेषित किए गए हैं। इन कार्यो की मुझे कोई जानकारी नहीं हैं। मेरे द्वारा इन कार्यो के लिए किसी भी अधिकारी की आई डी का उपयोग नहीं किया गया हैं। अपीलार्थी ने यह भी कथन किया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा के आदेश कमांक जिपभी/संस्था /चार्ज/आ. वित्र/2021/4529 दिनांक 01.03.2021 से विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडी को कार्यभार दिया गया जो मेरे द्वारा दिनांक 01.03.2021 को सांय 5:15 बजे कार्यभार ग्रहण किया गया हैं। पंचायत समिति कोटडी में 34 व्यक्तिगत लाभ के निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में दिनांक 05.03.2021 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा द्वारा दूरभाष पर निर्देश दिये कि उक्त कार्यों की स्वीकृति गलत जारी हो गयी है जिन पर मस्टर रोल जारी एवं कार्य प्रारम्भ नहीं करें। जिस पर मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से लेखा सहायकों एवं अन्य कार्मीकों को मस्टर रोल जारी नही करने हेतु पाबन्द किया गया एवं आज दिनांक तक इन कार्यो पर किसी प्रकार के मस्टर रोल व कार्य नहीं कराये गए हैं। साथ ही मुझे कम्प्युटर का ज्ञान नहीं होने कारण नरेगा योजना की सिक्योर आई डी तत्समय मेपींग नही हो पाई थी। इस प्रकार मेरे द्वारा किसी प्रकार की पर्यवक्षणीय लापरवाही नहीं की गई है एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की पालना, शीघ्रता से की गई है। अतः अपीलार्थी ने जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश दिनांक 02.02.2022 को अपास्त करने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाडा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कर्मचारी श्री राजेन्द्र कुमार सेन को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थी को इतने वृहद दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः इस संबंध में अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप एवं इन आरोपों के आधार पर दण्ड बहाल रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 02.02.2022 अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री राजेन्द्र कुमार सेन, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटडी, हाल सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति माण्डलगढ, जिला भीलवाडा, की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किया जाता है तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 02.02.2022 अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(भंवर लाल मेहरा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर